शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री अजेश यादव

दिनांक : 23.08.2019

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 34

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	बादली विधानसभा क्षेत्र में बुराड़ी रोड पर गली नं0 8 के समीप बागवानी विभाग की नर्सरी कब से है;	<u>उद्यान विभाग</u> यह भूमि उद्यान विभाग को निदेशक पंचायत, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या एफ 1/18/ए/पी/लिबासपुर/90/111/1013 दिनांक 18.03.2002 के द्वारा दी गई थी । <u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u> दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है) <u>मंडलायुक्त (राजस्व)</u> यह भूमि उद्यान विभाग को नर्सरी के लिए 2002 में दी गई थी जिसके खसरा नं0. 21/6 (2–8) एवं 21–15 (2–18) है । इससे पहले यह भूमि ग्रामसभा लिबासपुर के नाम थी ।
ख	इस नर्सरी का खसरा नंबर;	<u>उद्यान विभाग</u> 21/6 एवं 21/15 <u>मंडलायुक्त (राजस्व)</u> उपरोक्त 'क' के अनुसार ।
ग	इस नर्सरी की भूमि को उद्यान विभाग को कब दिया गया और इसके पहले यह भूमि किस विभाग की थी, संपूर्ण विवरण;	<u>उद्यान विभाग</u> यह भूमि उद्यान विभाग को निदेशक पंचायत, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या एफ 1/18/ए/पी/लिबासपुर/90/111/1013 दिनांक 18.03.2002 के द्वारा दी गई थी । <u>मंडलायुक्त (राजस्व)</u> उपरोक्त 'क' के अनुसार ।
घ	इस नर्सरी का कुल क्षेत्रफल;	<u>उद्यान विभाग</u> 5 बीघा 6 बिसबा <u>मंडलायुक्त (राजस्व)</u> 5 बीघा 6 विस्वा
ड	क्या इस भूमि का कुछ हिस्सा एमसीडी को भी आबंटित किया गया है; और	<u>मंडलायुक्त (राजस्व)</u> इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है ।
च	यदि ऐसा है तो उसका कारण?	<u>मंडलायुक्त (राजस्व)</u> उपरोक्त 'ड' के अनुसार ।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

पूरक सामग्री :—

वर्ष 2002 में उद्यान विभाग को खसरा न0. 21/6 (2–8) एवं 21–15 (2–18), निदेशक पंचायत दिल्ली सरकार द्वारा इस जमीन पर फ्लोरी कल्चर डिमोस्ट्रेसन सेन्टर विकसित करने के लिये दी गयी थी, क्योंकि उद्यान विभाग के पास इस कार्य के लिए कोई जमीन नहीं थी जिससे किसानों को फ्लोरीकल्चर एवं उद्यान की जानकारी आसानी से मिल सके । उद्यान विभाग ने इस जमीन में उद्यान नर्सरी विकसित की हैं जिसमें फूल व फलों के पौधे लगाये गये है । जिससे नजदीकी किसानों को फल व पुष्पों के बारे में जानकारी दी जाती है ।

(D.T.C.)
Govt. of [illegible]
Delhi Secretariat
I.P. Estate, [illegible]

^1/c

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

सं. एफ.5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/डीएस/769 — दिनांक : 2 अगस्त, 2018

Main letter Language in English हिंदी में was already been seen by Hon'ble Min. O.O.

May place in the concern file.
10/8/18

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के आपके पत्र सं. एफ 53 (यू.एस.क्यू.)/बजट सेशन–सैकंड जून–2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफ.यू.एस.क्यू./बजट सेशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी–6983 43(यू.एस.क्यू.–80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू.–70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फरवरी डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा सदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि. प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

OFFICE OF THE DIRECTOR(PANCHAYAT)
DEVELOPMENT DEPARTMENT
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54

No.F.1/18/A/P/Libaspur/90/III/ 1013 Dated:- 18-3-02

To .

The Head Of Office(Horticulture),
Govt. of NCT of Delhi,
11th Floor, MSOBuilding,
I.P. Estate,
New Delhi.

<u>Sub</u>.:- Transfer of use of Gaon Sabha land by the Horticulture Unit of the Development Department for Floriculture Demonstration Centre, in Village [illegible], Distt.(N-W).

Sir,

With reference to your Letter [illegible]/FDC/99-00/2379 dated 19.7.99 on the above ci[illegible] directed to convey the approval of of Hon'b[illegible] for utilizing the Gaon Sabha land bear[illegible] 16/16(4-16), 21/6(2-08) and 21/15(2[illegible] 14 bigha and 18 biswas in Village Liba[illegible] establishing a Floriculture Demonstration Centre s[illegible] the following contions:-

1. That no ownership rights/possession will be transferred to Horticulture Department and the land will be retrieved back as and when required by the Panchayat office.
2. That the free vacant area will be kept greener by the Horticulture Department.
3. That it shall be the responsibility of the Horticulture Department to protect the land from any type of encroachment.
4. That they will use the land for the purpose for which it is approved and not for any other purpose.

V Singh

(VIJAY SINGH)
DIRECTOR (PANCHAYAT)

No.F.1/18/A/P/Libaspur/99/III/ Dated:-
Copy forwarded for information and necessary action:-

1. The B.D.O.(Alipur), Distt. North-West, Delhi.

(VIJAY SINGH)
DIRECTOR (PANCHAYAT)

Director (Hort.)
Delhi Admn. Delhi
Dy. No. 5454
Dated 18/3/02

पूरक सामग्री :- वर्ष 2002 में उद्यान विभाग को खसरा नं० 21/6 (2-8) एवं 21-15 (2-18) निदेशक पंचायत दिल्ली सरकार द्वारा इस जमीन पर फ्लोरीकल्चर डिमोस्ट्रेशन सेन्टर विकसित करने के लिये दी गयी थी क्योंकि उद्यान विभाग के पास इस कार्य के लिये कोई जमीन नहीं थी जिससे किसानों को फ्लोरीकल्चर एवं उद्यान की जानकारी आसानी से मिल सके। उद्यान विभाग ने इस जमीन में उद्यान नर्सरी विकसित की है जिसमें फूल व फलों के पौधे लगाये गये हैं। जिससे नजदीकी किसानों को फल व पुष्पों के बारे में जानकारी दी जाती है!

Shri Chand
(SHRI CHAND SHARMA)
Head of Office (Hort.)